केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/284 दिनांक: 29.09.2017

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00276
CICOM/R/2017/00912

अपीलकर्ता : कुमारी वर्षा क्षेत्री,
सुपुत्री - स्व0 श्री सागरमल क्षेत्री,
द्वारा - श्री राजू क्षेत्री, राज निवास के पीछे,
पूरन नगर, नजदीक - के.एल.पी. कॉलेज,
दिल्ली रोड, रेवाड़ी, हरियाणा - 123401.

निर्णय की तारीख: 29.09.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	11.07.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	02.08.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री विजय भल्ला
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	19.09.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	FAA/384/25.09.2017 (167210/22.09.2017)

1. अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 11.07.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग में दाखिल दो द्वितीय अपीलों (दिनांक 04.12.2014 एवं दिनांक 30.12.2014) की सुनवाई के संबंध में सूचना मांगी थी जिसके प्रतिउत्तर में श्री विजय भल्ला, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध करवा दी गई है, परन्तु प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने श्री विजय भल्ला द्वारा प्रदान की गई सूचना का कोई उल्लेख न कर वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के अवर सचिव श्री गुलाब सिंह द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, बैंक आफ इंडिया को दिनांक 25 अगस्त, 2017 एवं दिनांक 5 सितम्बर, 2007 को लिखे गय पत्र की प्रति संलग्न करते हुए उल्लेख किया है कि उक्त पत्रों के संबंध में कोई जवाब नहीं मिला है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 11.07.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री विजय भल्ला द्वारा सूचित कर दिया गया है कि अपीलकर्ता के दोनों द्वितीय अपीलों की सुनवाई हो चुकी है और उक्त दोनो अपीलों की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के प्रतिनिधि श्री राजू क्षेत्री उपस्थित थे । श्री विजय भल्ला द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

3. जहां तक अपीलकर्ता द्वारा संलग्न किए गए वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के अवर सचिव श्री गुलाब सिंह के पत्रों का संबंध है, उक्त पत्र अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन में उक्त पत्रों का कोई उल्लेख नहीं है यहां तक कि गुलाब सिंह के दोनों पत्र अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन से डेढ़ माह बाद जारी किए गए हैं । इस संदर्भ में यह उल्लेख किया जाता है प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा केवल आर.टी.आई. आवेदन एवं आवेदन से संबंधित प्रथम अपील पर विचार किया जाता है, अन्य विभागों में दाखिल आर.टी.आई. आवेदनों या अन्य पत्रों पर केन्द्रीय सूचना आयोग के जन सूचना अधिकारी या प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

4. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

O/C

5. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, सी विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

C. I. C./के. सू. आ.
RECEIVED
29 SEP 2017
D. No.........
Initials.........

राकेश
(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

A.sh
29/09/17